संख्याः 262 /XVIII(II)/2013–1(63)/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 4 फरवरी, 2013

विषयः–उत्तराखण्ड डेवलपमेन्ट इनिशियेटिव फाउण्डेशन, देहरादून को दून कालेज ऑफ वैटनरी मेडिसिन की स्थापना हेतु ग्राम शंकरपुर हकुमतपुर, पछवादून, जिला देहरादून में 2.8250 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–205/12ए–8(2011–2014) डी0एल0आर0सी0 दि0–23.2.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड डेवलपमेन्ट इनिशियेटिव फाउण्डेशन को दून कालेज ऑफ वैटनरी मेडिसिन की स्थापना हेतु ग्राम शंकरपुर हकुमतपुर, पछवादून, जिला देहरादून में 2.8250 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत एवं पशुपालन विभाग व आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अभिमत/अनापत्ति के दृष्टिगत आपके द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुत खाता खसरा सं0 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (दून कालेज ऑफ वैटनरी मेडिसिन की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

.....2

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भूमि के प्रस्तावित अंतरण से किसी राजस्व नियमों का उल्लंघन न हो तथा भूमि भार मुक्त एवं विवाद रहित हो।

7– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

8– प्रस्तावित भूमि का उपयोग संस्था द्वारा निर्धारित प्रयोजनार्थ (दून कालेज ऑफ वैटनरी मेडिसिन की स्थापना) ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यो हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

9– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

10– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

12– दून कालेज ऑफ वैटनरी मेडिसिन की स्थापना हेतु इण्डियन वैटनरी काउण्सिल एक्ट 1993 के सुसंगत प्राविधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

14– प्रश्नगत भूमि का भू उपयोग कृषि होने के कारण संबंधित संस्था भूमि क्रय के उपरान्त नियमानुसार भूमि के भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध करेगी एवं उक्त प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने पर ही भू उपयोग परिवर्तन की अनुमन्यता होगी। भूमि क्रय की अनुमति को भू उपयोग परिवर्तन का अधिकार/बाध्यता नहीं माना जायेगा।

15– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

.....3

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जनपद स्तर से निर्गत आदेश की प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–262/XVIII(II)/2013–1(63)/2011/समदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5– मैनेजिंग ट्रस्टी, उत्तराखण्ड डेवलपमेन्ट इनिशियेटिव फाउण्डेशन, 4ए कोटरा संतुर, पो0 चन्दनवाड़ी, जिला देहरादन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।